दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता	:	श्रीमति राजकली पत्नी स्वः श्री ज्ञानचन्द
आर.टी.आई कम संख्या	:	10438-आई दिनांक 22/09/2022
अपील कम्र संख्या	:	81 दिनांक 28/10/2022

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-(04) द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन दिनांक 04/10/2022 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने आपत्ति दर्ज की है कि उन्हें यह कहकर सूचना देने से इनकार कर दिया गया है कि उक्त व्यक्ति जिसके संबध में सूचना मांगी गई है, ने अपनी सूचना किसी तीसरे पक्ष को देने के लिए मना कर दिया है। इस संबध में अपीलकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित प्रावधान कि जानकारी मांगी है

फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-4, तिहाड़, नई दिल्ली द्वारा अपने ज्ञापन में सूचना को प्रदान न किए जाने के संबध में कारण स्पष्ट कर दिया है यद्यपि संबधित धारा को अंकित नहीं किया गया है।

अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि वह दर्ज आपत्ति के निवारण हेतु, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित धारा 8 (1) (J) का अवलोकन कर सकता है।

इसके अलावा, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या - 4, तिहाड़ को भी निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में आर.टी.आई. पत्र के निपटान में सतर्कता बरतें व ज्ञापन में संबधित धाराओं को अंकित करें।

तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

उप महानिरिक्षक कारागार (तिहाड़)/
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री मति राजकली पत्नी स्वः श्री ज्ञानचन्द

F10(3476489)/ID-**10438-I**/CJ/Legal/2022/6467-68 Dated:4/11/2022.

आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिलिपिः-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-4, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.